एम.ए.सी.पी. संख्या ५३०/२०१७,
श्रीमती सुनीता उम्र लगभग ४५ वर्ष पत्नी स्व. श्री रामलखन निवासी मोहल्ला मलयाना थाना बड़ागाँव जिला झाँसी

--------याचिया

प्रति

१. देशराज तनय जगदीश निवासी-२ पंचमपुरा बड़ागाँव थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
........पंजीकृत स्वामी/चालक टैक्सी सं यू.पी. ९३ वीटी ०५७२
२. श्रीराम जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड ९१/४ सिविल लाईन झाँसी द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक
.......बीमा कम्पनी वाहन टैक्सी इ.नं.आर.ई.जी २७९३०३ चेसिस सं. एफ.यू.जी. ३२४८८१
पॉलिसी सं. १०८०५५/३१/००१२५३ दिनाँक ०३.०८.२०१६ से ०२.०८.२०१७

-------विपक्षीगण

याचिया के अधिवक्ता- श्री जय प्रकाश नामदेव
विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता- श्री राजीव शर्मा

२३.०२.२०२१

पत्रावली पेश हुयी। याचिया श्रीमती सुनीता मय विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं.२ श्रीराम जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत याचिका याचिया श्रीमती सुनीता द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर दुर्घटना में अपने पति राम लखन की मृत्यु के कारण ₹२९,००,००० प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। याचिया एवं विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी की ओर से ४३बी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जो आज उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ४३बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचिया व विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ४३बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। ४३बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹४,५०,०००** याचिया को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचिया सुलहनामा ४३बी में दर्शित कुल **₹४,५०,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी याचिया को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ४३बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिया की याचिका सुलहनामा ४३बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ४३बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.२ श्रीराम जनरल इश्योरेंस कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचिया को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹४,५०,००० (चार लाख पचास हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा, गोविन्द चौराहा झाँसी के खाता सं. 3671000101192489 आई.एफ.सी.कोड सं. PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या,नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नंम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से ७५ प्रतिशत भाग याचिया श्रीमती सुनीता के नाम ३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जावेगी तथा शेष २५ प्रतिशत भाग याचिया अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेगी। तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.02.23 11:09:23 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi